IN THE COURT OF THE ARBITRATOR-CUM-ADDITIONAL COLLECTOR, SARAIKELA-KHARSWAN

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता0 ....

जिला–सरायकेला–खरसावाँ

वाद सं0–10/2020 सोनाली घोष वनाम अमरेश दास एवं अन्य

केस का प्रकार – Arbitrator Case

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
18/12/2020	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष स्वय उपस्थित है। वादी सोनाली घोष एवं अन्य, मौजा– रघुनाथपुर,थाना–नीमडीह, जिला– सरायकेला– खरसावाँ, राज्य– झारखण्ड द्वारा DLA case No- 20/2014-15, एवार्ड सं0–126 में निर्धारित राशि– 10,81,770.00 (दस लाख एकासी हजार सात सौ सत्तर) रू0 का अन्य व्यक्ति श्री अमरेश दास, पिता स्व0 आदित्य दास, ग्राम – रघुनाथपुर, थाना–नीमडीह, जिला – सरायकेला–खरसावाँ द्वारा दावा किया जा रहा है इसलिए इनके द्वारा National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी श्री अमरेश दास, पिता–स्व0 आदित्य दास, ग्राम – रघुनाथपुर, थाना–नीमडीह, जिला – सरायकेला– खरसावाँ है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया तथा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक– 520/भू0अ0, दिनांक–13. 10.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन विन्दुवार निम्नवत है– 1. NHAI से प्राप्त मकान/संरचना का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती सोनाली घोष एवं अन्य को मौजा–रघुनाथपुर, थाना नं0–288, खाता संख्या–237, खेसरा संख्या–2184 पर निर्मित संरचना का मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसका एवार्ड संख्या–126 है एवं एवार्ड की कुल राशि–10,81,770.00 (दस लाख एकासी हजार सात सौ सत्तर) रूपये निर्धारित है। (प्रति संलग्न) 2. उक्त संरचना का मुआवजा प्राप्त करने हेतु श्रीमति सोनाली घोष, निवासी– मानगो एवं श्री अमरेश दास, पिता– स्व0 आदित्य दास, ग्राम–रघुनाथपुर के द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। (दावा से संबंधित दस्तावेज संलग्न) 3. दो व्यक्तियों के दावेदारी होने के कारण कार्यालय पत्रांक–70,भू0अ0, दिनांक–10.02.2020 के द्वारा उक्त खाता,, खेसरा का स्वमित्व से संबधित जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, नीमडीह से मांग की गई। (प्रति संलग्न) 4. अंचल अधिकारी,नीमडीह द्वारा पत्रांक–212, दिनांक 06.03.2020 द्वारा संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गई।(छायाप्रति संलग्न) उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन के अनुसार खाता संख्या–237, खेसरा संख्या–2184, रकवा– 0.06 एकड़ भूमि के खतियानी एवं पंजी–।। रैयत प्रशात कुमार जाना पिता– अमूल्य कुमार जाना के नाम पर दर्ज है। प्रशांत कुमार जाना के पुत्र वासव जाना के अनुसार उक्त संरचना में स्व0 आदित्य	

दास को रहने दिया गया था एवं अमरेश दास के अनुसार उक्त मकान आदित्य कुमार दास के द्वारा बनाया गया है एवं वे उसी मकान में रहते हैं। उक्त मकान को खाली करने के लिए सिविल कोर्ट सरायकेला में टाईटल सूट चला था।(प्रति संलग्न)

5. कार्यालय अमीन के द्वारा ग्रामीणों की बैठक से संबंधित दो प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।(प्रति संलग्न)
   A. ग्राम प्रधान सहित कुल 13 व्यक्तियों के जांच प्रतिवेदन के अनुसार संरचना आदित्य दास द्वारा बनाया गया है।
   B. 15 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन सोनाली घोष के पक्ष में है।
6. कार्यालय ज्ञापांक–236,भू0अ0, दिनांक 19.06.2020 द्वारा दोनों पक्षों को अपने गवाहों सहित दिनांक–26.06.2020 को उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखने हेतु निर्गत की गई। (प्रति संलग्न)
7. दिनांक–26.06.2020 को दोनों पक्षों द्वारा गवाहों सहित अपना–अपना दावा किया गया एवं दिनांक–01.07.2020 को पुनः ग्रामीणों की बैठक कराने की सहमति दी गई। जिसके आलोक में अधिग्रहित मकान के स्वामित्व संबंधी बैठक कराने हेतु अंचल अधिकारी, नीमडीह को कार्यालय पत्रांक–251,भू0अ0, दिनांक27.06.2020 के द्वारा पत्र निर्गत की गई।(प्रति संलग्न)
8. अंचल अधिकारी, नीमडीह के पत्रांक–424, दिनांक 01.07.2020 द्वारा ग्रामीणों की बैठक की कार्यवाही सहित प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त विवादित संरचना अमरेश दास के पिता– स्व0 आदित्य दास के द्वारा बनाया गया है एवं दास परिवार के द्वारा ही मकान का उपयोग किया जा रहा है।(प्रति संलग्न)

वादी सोनाली घोष द्वारा W.P.C. No-2627/ 2020 सोनाली घोष एवं अन्य बनाम अमरेश दास एवं अन्य में दिनांक–14.10.2020 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध है।

इसी प्रकार प्रतिवादी श्री अमरेश दास द्वारा निम्न रूप से पक्ष रखे हैं –

1. मौजा–रघुनाथपुर, थाना नं0–288, खाता नं0–237, प्लॉट नं0–2184 पर निर्मित आवासीय मकान करीब 40–45 वर्ष मेरे पिताजी द्वारा बनाया गया है एवं उसमें मेरे पिताजी के समय से ही अभी तक हमलोग सह परिवार रहते हुए आ रहे हैं।
2. उक्त प्लॉट की जमीन में आवासीय मकान सहित NH-32 चौडीकरण में सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है तथा इसके मुआवजा भुगतान के सिलसिले में सोनाली घोष (वादी) के दावे के बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला के ज्ञापांक– 251/दिनांक 27.06.2020 के आदेश अनुसार दिनाक–01.07.2020 को ग्राम सभा की बैठक हुई।इसकी पुष्टि की गई है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, नीमडीह के पत्रांक–424, दिनांक 01.07.2020 को जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला को सूचित किया गया है।
3. इससे पूर्व हल्का कर्मचारी के स्थल निरीक्षण का रिपोर्ट भी अंचल अधिकारी, नीमडीह को सुपूर्द किया गया है जिसमें उक्त प्लॉट पर अमरेश दास का मकान है।
4. ग्राम पंचायत आदरडीह के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख नीमडीह, वार्ड सदस्य तथा ग्रामीणों के साथ बैठक की। प्रमाणित किया गया है कि प्लॉट नं0–2184 पर बना मकान में अभी भी अमरेश दास एवं उनके भाई सपरिवार रहते आ रहे हैं। पंचायत के सभी सदस्य यह पाया कि उक्त प्लॉट नं0– 2184 में सोनाली घोष (वादी) का कोई भी मकान/संरचना नहीं है।
5. उक्त प्लॉट पर बने आवासीय मकान के एक रूम को मैंने गुलाब रब्बानी को दिनांक 01.05.2017 से 01.05.2022 तक पांच वर्ष तक दिया हूँ । इस संबंध पर एकरारनामा बना है।
6. स्वच्छ भारत द्वारा प्रदत्त मकान पर दिया गया मकान नं0–395 जो मेरा नाम पर है।

प्रतिवादी ने उक्त के आलोक में मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध किये हैं।

अतएव उभय पक्षों द्वारा लिखित पक्ष एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–520 / भू0अ0, दिनांक–13.10.2020 के आलोक में स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के द्वारा W.P.C. No-2627/ 2020 सोनाली एवं अन्य बनाम अमरेश दास एवं अन्य में दिनांक–14. 10.2020 को जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला – खरसावाँ को सुनवाई हेतु आदेश पारित है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से तत्काल इस वाद में किसी प्रकार का निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील आवेदन निष्पादित।

लेखापित।

अपर उपायुक्त–सह–
पंच (Arbitrator,NHAI)
सरायकेला–खरसावाँ।

8/12/20

अपर उपायुक्त–सह–
पंच (Arbitrator,NHAI)
सरायकेला–खरसावाँ।